बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956

फैक्स नं0 :– 0612–2215611

ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

श्री नागेन्द्र सिंह, पिता– स्व0 शिवनन्दन सिंह, ग्राम– सिरसी, पोस्ट – सिरसी, थाना – बख्तियारपुर, जिला – पटना को इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5208/2015 (नागेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में उनके द्वारा दिनांक 12.09.2018 को समर्पित अभ्यावेदन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार –सह– सचिव, निर्वाचन विभाग द्वारा वाद संख्या –विविध(न्या0 अनु0)–1/2018 की सुनवाई के क्रम में दिनांक 25.10. 2018 और पुनः 08.11.2018 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष खरने के लिए नोटिस निर्गत किया गया था।

उक्त नोटिस का तामिला उनके अभ्यावेदन में अंकित पता पर डाक द्वारा एवं जिला निर्वाचन पदधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा भेजी गयी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना ने नोटिस तामिला प्रतिवेदन में अंकित किया है कि श्री नागेन्द्र सिंह घर पर नहीं रहने के फलस्वरूप नोटिस का तामिला नहीं हो सका। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि फिलहाल वे सपरिवार पटना में निवासित हैं। उनके पटना में निवास स्थल का सही पता नहीं मालूम होने के कारण आज दिनांक 02.11.2018 को उनके सिरसी, बख्तियारपुर के पता पर ही उक्त नोटिस को निबंधित डाक से भेज दी गयी है। इस प्रकार आप उक्त दोनो तिथियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

चूँकि आप अपने अभ्यावेदन में दिये गये पता पर उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख 27.11.2018 (मंगलवार) को पूर्वाहन 11:30 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित बयान (साक्ष्य के साथ) प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने के लिये निदेशित किया गया है। आपकी अनुपस्थिति की स्थिति में यह समझा जायेगा कि संबंधित वाद में आपको कुछ नहीं कहना है तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव द्वारा वाद संख्या –विविध(न्या0 अनु0)–1/2018 में विभाग में उपलब्ध कागजात/अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सचिव के आदेश से

8.11.2018

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।